Title: Need to amend forest laws for development of undeveloped areas in the country.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, 1980 में भारत सरकार ने फॉरेस्ट कानून लागू किया था। जंगलों में पेड़ बढ़ाने के लिए लोगों ने पेड़ तो नहीं लगाए लेकिन पेड़ों की कटाई करनी शुरु कर दी। इससे करोड़ों रुपए की बरबादी हो रही है और जंगल में रहने वाले आदिम जाति के लोगों का विकास नहीं हो रहा है। बांध, नहर, बिजली, टेलीफोन, स्कूल रास्ते और अन्य सुधार कार्य करने के लिए फॉरेस्ट भूमि की जरूरत पड़ती है। परवाना हासिल करने के लिए जमीन के बदले रेवेन्यू की जमीन देनी पड़ती है लेकिन जमीन नहीं होती जिससे विकास कार्य ठप्प हो जाते हैं। भोपाल और दिल्ली में 10-10 बरस तक प्रकरण रुक जाता है। काम के दाम दस गुना हो जाते हैं। आर्थिक बरबादी और समय की बरबादी होती है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए दी गई धनराशि वैसे ही पड़ी रहती है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि फॉरेस्ट कानून में सुधार करके विकास के काम के लिए भूमि बिना शर्त दी जाए।

- ----------

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

सभापति महोदय : किस नियम के तहत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मेरा एक निवेदन है।

सभापति महोदय : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में नियम बताना पड़ता है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैं एक जानकारी चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप बैठिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : यदि आपने कल लिस्ट हुए नियम 377 के अधीन मामले लैप्स कर दिए हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कल उपस्थित था। â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदयः आपने नियम बताया नहीं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आपको कैसे बुलाया जा सकता है? आपका नाम कल था। आज नहीं है। गतं न शोचानि। जो बीत गया सो बीत गया।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : बाकी लोगों का नाम आ गया लेकिन मेरा नहीं आया है। क्या मुझे यह पूछने का हक है या नहीं?

सभापति महोदय : कल वाली लिस्ट में से किसी सदस्य का नाम बुलाया नहीं गया है। जिन्होंने फ्रैश नोटिस दिया, उनका बैलट में नाम आया है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : आपको मेरी बात सुननी चाहिए। कल की लिस्ट में से माननीय सदस्यों के नाम बुलाए गए हैं।

सभापति महोदय : लिस्ट में आपका नाम नहीं है। रिकॉर्ड चैक करके बता दूंगा।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : इनका कहना है कि कल इनका नाम था और कल जिन सदस्यों के नाम थे उनको बुलाया गया है और इन्हें नहीं बुलाया गया है।

सभापति महोदय : बैलट में जो नाम आए हैं उन्हें बुलाया गया है।

श्री राजो सिंह : इन्हें अब बोलने के लिए बुला लिया जाए।

सभापति महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है। जिन का नाम लिस्ट में है, उन्हीं को बुलाया जाएगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मुझे इस बात पर आपत्ति है कि आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मैं पहली बार इस सदन का सदस्य नहीं बना। मैं एक जानकारी चाहता हूं। यदि कल के सभी नियम 377 के अधीन मामले बाई-पास कर दिए हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है। मैंन देखा है कि बाकी सदस्यों को बोलने का चांस दिया गया है लेकिन मुझे नहीं दिया गया।

मेरा कहना है कि मैं यह जानकारी चाह रहा हूं लेकिन आप सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय : आपका नाम आज की लिस्ट में नहीं है। रिकार्ड चैक अप करने के बाद कह सकता हूं कि आपका नाम कल की लिस्ट में था या नहीं, सोमवार को मिल जायेगा।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : मंडे को कैसे होगा? How can it be done?

MR. CHAIRMAN: This is a special case....(*Interruptions*)